

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक पं. 7(1)कार्मिक/क-2/2019


जयपुर, दिनांक: . 30.01.2022

आदेश

राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं को सुचारु रूप से आयोजित करने हेतु सम्पूर्ण परीक्षा प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन कर सुधारात्मक सुझाव देने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-


1. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री विजय कुमार व्यास, - अध्यक्ष
2. श्री महेन्द्र लाल कुमावत, सेवानिवृत्त आई0पी0एस0 एवं पूर्व अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर - सदस्य
3. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग - सदस्य सचिव

समिति अपनी रिपोर्ट 45 दिवस में राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।


(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री विजय कुमार व्यास।
4. श्री महेन्द्र लाल कुमावत, सेवानिवृत्त आई0पी0एस0 एवं पूर्व अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव /प्रमुख शासन सचिव/सचिव गण।
6. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
8. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
9. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव